न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:–28/2013 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. जल्ली पुत्र श्री गीला जाति मेव निवासी ग्राम मूंडियाखेड़ा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर ।

.... प्रतिवादी/ अपीलांट

बनाम

1. हरिसिंह पुत्र श्री अखैसिंह जाति मेव,
2. मेव खां पुत्र श्री अखैसिंह जाति मेव,
3. नसीबा खां पुत्र श्री अखैसिंह जाति मेव निवासी ग्राम मूंडियाखेड़ा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर ।

.... वादीगण/असल रेस्पो0

4. राजस्थान सरकार जरिये जिलाधीश अलवर ।
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार लैण्ड होल्डर तहसील लक्ष्मणगढ़ ।

................प्रति0/तकमीली रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :–

1. श्री उमाशंकर खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री सतीश जैन अभिभाषक असल रेस्पो0
3. श्री गणपतसिंह नरूका राजकीय अभिभाषक ।

::: निर्णय :::

दिनांक :–24.05.2018

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 27.12.2003 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी/असल रेस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा इस्तकरारहक व हुक्म ईम्तनाई दवामी इस आशय का प्रस्तुत किया कि साबिक आराजी ख0 नं0 163 मिन रकबा 2 बीघा के हाल ख0 नं0 173 रकबा 2 बीघा वाके मूंडियाखेड़ा हम वादीगण के पिता की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी थी जिस आरजी पर हमारे पिता जीवन पर्यन्त तक काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं और उनके फौत होने के बाद हम वादीगण बहैसियत वारिसान काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं । बन्दोबस्त विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों ने खिलाफ कानून एवं खिलाफ मौका हाल ख0 नं0 173

रकबा 2 बीघा कायम कर विवादित आराजी को हम वादीगण की खातेदारी में दर्ज करने के बजाय गै0 मु0 बंजड़ दर्ज कर दिया जो काबिल दुरूस्ती है जिसे हम वादीगण को दुरूस्त कराने का पूरा हक व अधिकार है । इस गलत इन्द्राज की जानकारी हम वादीगण को हुई तब पटवारी हल्का ने राजस्व कैम्प में हमें बेदखल कर दीगर व्यक्तियों को आवंटन करने की धमकी दी । उक्त गलत इन्द्राज की आड़ में प्रतिवादीगण के कर्मचारी वादीगण को बेदखल करने की जुस्तजू में है । अतः वादीगण को विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित करने का निवेदन किया । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने दावा दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया जिन्होंने उपस्थित होकर जवाब दावा प्रस्तुत किया । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों के अभिभाषकगण की बहस सुनकर तनकीयात कायम करते हुए दि0 27.12.2003 को वादीगण का वाद डिक्री कर दिया जिस निर्णय व डिक्री दि0 27.12.2003 से व्यथित होकर अपीलांट ने अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस में कहा कि तहत न्यायालय के निर्णय दि0 27.12.2003 के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है । बहस में कहा कि विवादित आराजी ख0 नं0 173 रकबा 2 बीघा वाके ग्राम मूंडियाखेड़ा में स्थित है । अपीलांट अभिभाषक ने वादी के वाद के तथ्यों को दोहराया, अपील के तथ्यों को दोहराया और तहत न्यायाल के निर्णय एवं राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर का अपीलीय निर्णय दि0 2.5.2008 एवं माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 1.10.2012 का अवलोकन कराया । अपीलांट अभिभाषक ने वादी के तथ्यों को दोहराते हुए कहा कि वादी ने यह वाद विवादित आराजी साबिक ख0 नं0 163 मिन रकबा 2 बीघा पर कब्जा काश्त होने एवं खातेदारी अधिकार दर्ज होने के उपरान्त भी बन्दोबस्त विभाग द्वारा दौराने सैटलमेन्ट सरकारी जमीन दर्ज करने के विरूद्ध पेश किया है । तहत न्यायालय में वादी के द्वारा खसरा गिरदावरी एवं जमाबन्दी सम्वत् 2016 की नकलें पेश करके दावे डिक्री किये जाने का अनुरोध किया था ।

अपीलांट, वादीगण के परिवारजन है । अपीलांट के पिता और रेस्पो0 के पिता तथा इनके पिताजी भोला एक ही थे । विवादित आराजी पर दोनों भाईयों का बराबर का कब्जा काश्त होने के कारण तहत न्यायालय ने अपीलांट को आदेश 1 नियम 10 के प्रार्थना पत्र पर पक्षकार बनाया गया ।

अपीलांट ने तहत न्यायलय में रेस्पो0 सं0 3 की हैसियत से विवादित आराजी पर 1/2 हिस्से पर कब्जे काश्त के माध्यम से खसरा गिरदावरी की नकले पेश की है । खसरा गिरदावरी सम्वत् 2030 के अनुसार अपीलांट के पिता गीला और रेस्पो0 के पिता अखैसिंह बहिस्से बराबर कब्जे काश्त में थे । उसके बाद खसरा गिरदावरी के अवलोकन से स्पष्ट है कि दोनों का ही बहिस्सा बराबर कब्जा काश्त चला आ रहा है । तहत न्यायालय ने भी अपनी फाईडिंग में दोनों पक्षों का बहिस्सा बराबर कब्जा काश्त माना है परन्तु अपीलांट का कब्जा काश्त होने के बावजूद भी विवादित आराजी पर वादी का वाद डिक्री करके खसरा नम्बर 173 रकबा 2 बीघा का खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया जिसके विरूद्ध इस निर्णय की यह अपील अपीलांट द्वारा पेश की गई है ।

अपील के तथ्यों के दोराहते हुए अपीलांट अभिभाषक का कथन है कि वादी ने अपने वाद में दावा डिक्री किये जाने हेतु दो प्रार्थना की है –

1. सैटलमेन्ट ने गलत रूप से विवादित आराजी को गैर मुमकिन दर्ज कर दिया । वादीगण शुरू से ही खातेदार की हैसियत से काबिज हैं ।
2. एडवर्श पजेशन के आधार पर खातेदारी चाही है ।

वादी/रेस्पो0 अपने आपको राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के समय से ही कब्जे काश्त में बता रहे हैं तथा एक तरफ स्वयं को खातेदार टिनेन्ट बता रहे हैं और एडवर्स पजेशन भी बता रहे हैं । दोनों ही विरोधाभाषी तथ्य है और रेस्पो0/वादी स्वयं संतुष्ट नहीं है । अपीलांट अभिभाषक का यह भी कथन है कि विवादित आराजी में से 1 बीघा पर अपीलांट का कब्जा है । हम एक ही परिवार के सदस्य है जिसका सजरा पेश किया है । भोला के दो लड़के अखैसिंह और गीला हैं । अखैसिंह के रेस्पो0 / वादीगण हैं और गीला के अपीलांट हैं । अखैसिंह बड़ा और गीला छोटा पुत्र था । दोनों बराबर कब्जा काश्त के आधार पर काश्त कर रहे हैं । सम्वत् 2030 के अनुसार बहिस्सा कब्जा काश्त बराबर सिद्ध है । अभिभाषक ने आगे कहा कि इस प्रकार से वादीगण केवल एक बीघा जमीन पर खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी हैं तथा प्रतिवादी/अपीलांट भी एक बीघा जमीन की खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी हैं जिसे तहत न्यायालय ने स्वीकार नहीं किया । इसकी अपील पेश करने पर इसी न्यायालय द्वारा प्रकरण को दो बिन्दुओं पर प्रतिप्रेषित किया गया था । अपीलांट का भी कब्जा काश्त में बहिस्सा बराबर है तो इसकी खातेदारी पर विचार किया जावें । इस पर रेस्पो0/वादीगण ने माननीय राजस्व मण्डल में अपील की जिसमें माननीय मण्डल ने अपने निर्णय दि0 1.10.2012 में कथन किया है कि अपीलांट का कब्जा काश्त तहत न्यायालय में स्पष्ट है तो उसके आधार पर ही खातेदारी की डिक्री का निर्णय आदेश 41 नियम 24 में राजस्व अपील प्राधिकारी के द्वारा भी किया जा सकता है । उसके उपरान्त यह प्रकरण बहस में विचाराधीन है ।

अपीलांट अभिभाषक ने बहस में आगे कहा कि जब विवादित आराजी में अपीलांट का निस्फ हिस्से पर कब्जा काश्त है तो किस आधार पर धारा 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट में वादी के पक्ष में डिक्री पारित की जा सकती है जब तक तहत न्यायालय अपीलांट को बेदखली के आदेश नहीं दे सकती है तब तक 188 आर.टी.एक्ट में स्थाई निषेधाज्ञा की रिलीफ प्राप्त नहीं की जा सकती है । इस संबंध में अपीलांट अभिभाषक ने कानूनी नजीर आर.आर.डी. 1986 पेज 6 का उद्धरण पेश किया ।

अपीलांट अभिभाषक ने जमाबन्दी सम्वत् 2016 के आधार पर तहत न्यायालय द्वारा विवादित आराजी के मालिक के रूप में अखैसिंह को मोरदेन खातेदार माना है । अपीलांट अभिभाषक का कथन है कि जब विवादित आराजी पर खसरा गिरदावरी की रिपोर्ट सम्वत् 2030 से 32, 2047, 2050, 2051, 2056–57 पेश की हैं जिसके अनुसार अपीलांट के पुत्र के नाम विवादित आराजी का नियमन किये जाने की सिफारिश तहसीलदार द्वारा की गई है और उसका कब्जा माना है तो किस आधार पर वादी को घोषणा का वाद डिक्री किया गया जबकि कानूनन ऐसे प्रकरण में घोषणा का और स्थाई निषेधाज्ञा का लाभ नहीं मिल सकता

है । इस संबंध में एक अन्य कानूनी नजीर आर.आर.डी. 2011 II पेज 1170 पेश कर कहा कि बिना पजेशन किसी प्रकार की खातेदारी नहीं दी जा सकती है ।

अपीलांट अभिभाषक ने द्वितीय बिन्दु यह भी उठाया है कि वादी के अनुसार बन्दोबस्त विभाग ने गलत इन्द्राज कर दिये और विवादित आराजी को खातेदारी से सिवायचक में दर्ज कर दिया । इस संबंध में अपीलांट का यह कहना है कि बन्दोबस्त का रेकार्ड सम्वत् 2028 में पेश हुआ और सम्वत् 2020 से कार्य चालू हुआ है । अतः सम्वत् 2020 से पूर्व की जमाबन्दी पेश किया जाना अति आवश्यक था जिससे स्पष्ट होता कि विवादित आराजी बन्दोबस्त से पूर्व सरकारी सिवायचक थी या खातेदारी में थी । अतः तहत न्यायालय का यह मत कि बन्देाबस्त ने गलत इन्द्राज कर सिवायचक दर्ज किया है, कानून और रेकार्ड के विपरीत है । तहत न्यायालय ने सम्वत् 2016 की जमाबन्दी के इन्द्राजों के आधार पर वादीगण के पिता को साकिन देह मालिक माना है । उसका यह कहना है कि जमीदारी विश्वेदारी उन्मूलन एक्ट सन् 1959 सम्वत् 2016 में लागू हुआ । उस समय जमीदारी विश्वेदारी की आराजी पर जिस किसी मालिक की खुद काश्त थी उसे ही खातेदारी अधिकार मिले हैं । यदि खुद काश्त नहीं है तो वह जमीन सरकारी सिवायचक दर्ज की गई । गिरदावरी सम्वत् 2016 में मकबूजा मालकान शामलातदेह लिखा हुआ है तथा विवादित आराजी की किस्म गैर मुमकिन खोड़ अंकित है जो काबिल काश्त जमीन नहीं थी । इसलिए उसे सिवायचक जमीन अंकित कर दिया गया । सम्वत् 2017 से 20 की गिरदावरी में उक्त आराजी मकबूजा सरकार दर्ज है । इससे स्पष्ट है कि यह आराजी बन्दोबस्त से पूर्व ही सिवायचक दर्ज हो गयी । अतः बन्दोबस्त के द्धारा किसी प्रकार की कोई खातेदारी समाप्त नहीं की गई ।

अपीलांट अभिभाषक ने वादीगण की साक्ष्य का भी विवेचन करते हुए बताया कि पी. डब्ल्यू.1 हरिसिंह ने स्वयं यह माना कि यह जमीन उनके पिता ने कब्जा करके दबायी थी । अन्य गवाहान दूसरे गांव के हैं, कम उम्र है । इसलिए उनकी साक्ष्य भरोसे योग्य नहीं है । अतः दोनों भाई उस वक्त एक साथ रहते थे तथा दोनों का बहिस्सा बराबर कब्जा काश्त था । इसलिए दोनों को ही बराबर का बहिस्सा कब्जा काश्त खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें और तहत न्यायालय के निर्णय व डिक्री को निरस्त करने का अनुरोध किया ।

रेस्पो0 अभिभाषक ने अभिभाषक अपीलांट की बहस का जवाब देते हुए कहा कि वादी ने तहत न्यायालय में साबिक ख0 नं0 163 मिन रकबा 2 बीघा हाल ख0 नं0 173 रकबा 2 बीघा पर अपना पिता के समय से कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी । जीवन पर्यन्त वहीं काश्त करते रहे हैं तथा बाद में हम रेस्पो0 काश्त करते रहे हैं ।

बन्दोबस्त विभाग ने विवादित आराजी को खातेदारी दर्ज करने के बजाय सिवायचक गैर मुमकिन बंजड़ दर्ज कर दी । जैसे ही हमें जानकारी मिली हमने तहत न्यायालय में घोषणा का दावा पेश किया । विवादित आराजी पर हम शुरू से ही कब्जे काश्त में हैं । अपीलांट आदेश 1 नियम 10 के तहत पक्षकार मुकदमा बने हैं । विवादित आराजी पर वादीगण/रेस्पो0 का कब्जा होने के संबंध में खसरा गिरदावरी सम्वत् 2053, 2054, 2057, 2013 से 16, 2017 से 20, 2021 से 24 व जमाबन्दी सम्वत् 2016 व 2053 की नकलें पेश की हैं । अपीलांट/प्रतिवादीगण विवादित आराजी पर अतिक्रमी की हैसियत से काबिज थे । एक अतिक्रमी को किसी प्रकार का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है । तहत न्यायालय ने

इस संबंध में अपीलांट को अतिक्रमी होने के संबंध में अपने आदेश में व्याख्या की है । इस प्रकार से अपीलांट को सभी दस्तावेजातों में अतिक्रमी मानने के कारण इनका कोई अधिकार नहीं माना और वादी के वाद को सही डिक्री किया गया ।

रेस्पो0 के अभिभाषक ने सम्वत् 2016 की जमाबन्दी का हवाला देते हुए कहा कि उक्त आराजी के अखैसिंह मालिक थे और मालिक को राजस्थान टिनेन्सी एक्ट में मोरदेन खातेदार माना और यही बन्दोबस्त से पूर्व की जमाबन्दी है । सम्वत् 2013 से 17 की जमाबन्दी में वादी के पिता की काश्त दर्ज है । यह कब्जे का पर्याप्त आधार है । इस संबंध में रेस्पो0 अभिभाषक ने मौखिक रूप से कहा कि राजस्व मण्डल ने बहुत सारी कानूनी दृष्टान्त पेश किये हैं कि बन्दोबस्त विभाग को किसी प्रकार के इन्द्राज बदलने का अधिकार नहीं है, व किसी कि खातेदारी को समाप्त करके दर्ज नहीं कर सकती है । पुनः उन्होंने कहा कि बन्दोबस्त विभाग को सम्वत् 2016 के इन्द्राजों को ही दोहराना चाहिए । सम्वत् 2019 की जमाबन्दी वादीगण को उपलब्ध नहीं हो पायी । रेस्पो0 अभिभाषक ने कानूनी नजीर आर.आर. डी. 1983 पेज 283, 264, आर.आर.डी. 1990 पेज 17 पेश की । उन्होंने यह भी कहा कि गवाहों से उसका कब्जा काश्त साबित है । जमीन कभी भी बंजड़ नहीं रही । इसलिए अपील अपीलांट खारिज की जावें ।

जवाबुल जवाब में अपीलांट अभिभाषक का पुनः कथन है कि सन् 1973 से 78 से हमें रेकार्ड में कहीं भी अतिक्रमी के रूप में उल्लेख नहीं लिखा गया है । हमारा कब्जा है । वादीगण को धारा 183 की प्रार्थना के बिना कोई खातेदारी प्राप्त नहीं हो सकती है । सम्वत् 2016 की जमाबन्दी में मकबूजा मालकान दर्ज है । गैर मुमकिन खोड़ आराजी है जिस पर खातेदारी नहीं मिल सकती है । जमींदारी विश्वेदारी उन्मूलन एक्ट प्रभाव में आते ही उक्त आराजी को गैर मुमकिन बंजड़ सही दर्ज किया गया है ।

हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी, तहत न्यायालय की पत्रावली, तहत न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया तथा पेश कानूनी नजीरों का ससम्मान अवलोकन किया गया । तहत न्यायालय के द्वारा विवादित आराजी को सम्वत् 2016 की जमाबन्दी के आधार पर अखैसिंह को मालिक मानते हुए तथा मालिक को मोरदेन खातेदार मानकर खातेदार माना तथा यह भी माना कि बन्दोबस्त विभाग ने सम्वत् 2028 में खातेदारी के इन्द्राजों को रिपीट न करके गैर मुमकिन बंजड़ सिवायचक गलत रूप से दर्ज कर दिया । विवादित आराजी पर वादी का कब्जा काश्त माना और प्रतिवादी को अतिक्रमी मानकर यह मानते हुए कि अतिक्रमी का कोई अधिकार नहीं होता है । वादी को विवादित आराजी ख0 नं0 173 रकबा 2 बीघा का खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया । अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 2.5.2008 के अनुसार अपीलांट को भी विवादित आरजी पर निस्फ हिस्से में कब्जे काश्त में माना और तहत न्यायालय के निर्णय को निरस्त करते हुए प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किये जाने के आदेश दिये कि विवादित आराजी पर अपीलांट का भी निस्फ हिस्से पर कब्जा काश्त है । अतः इनकी खातेदारी पर भी विचार किया जावें ।

रेस्पो0 के द्वारा इस आदेश की अपील माननीय राजस्व मण्डल को की गई जिस पर माननीय राजस्व मण्डल द्वारा निर्देश प्रदान किये गये कि कब्जे के संबंध में तहत न्यायालय द्वारा क्लीयर फाईडिंग दी गई है । इसलिए राजस्व अपील प्राधिकारी न्यायालय के द्वारा ही

24/5

इसमें आदेश 41 नियम 24 के तहत खातेदारी के संबंध में स्वयं निर्णय पारित किया जाना चाहिए । तद्उपरान्त यह बहस सुनी गयी ।

यह सही है कि विवादित आराजी पर उभयपक्षों का साक्ष्य और रेकार्ड के आधार पर निस्फ–निस्फ हिस्से पर कब्जा काश्त है और अधीनस्थ न्यायालय ने व अपीलीय न्यायालय में इसे एडमिट किया है । अपीलांट की कानूनी नजीर आर.आर.डी. 1986 पेज 6 के अनुसार यदि किसी प्रकार की घोषणा के लिए वाद तैयार किया जाता है तो उसमें घोषणा और स्थाई निषेधाज्ञा के लिए वक्त दावा दायरी कब्जा काश्त होना आवश्यक है । इस वाद में तहत न्यायालय के द्वारा भी यह माना गया और रेकार्ड से भी साबित है कि अपीलांट का भी निस्फ हिस्से पर कब्जा काश्त है ।

जमाबन्दी सम्वत् 2016 का अवलोकन किया गया । जमींदारी विश्वेदारी उन्मूलन एक्ट 1959 सम्वत् 2016 में प्रभाव में आया । इसके अनुसार जमीदारी विश्वेदारी की आराजी पर यदि कोई मालिक खुद काश्त में दर्ज है तो उसे नियमानुसार खातेदारी अधिकार प्राप्त होगें । उक्त जमाबन्दी के अवलोकन से यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि इस आराजी के अखैसिंह के साथ और कौन–कौन इसके मालिक दर्ज रेकार्ड हैं । मालिक के रूप में यद्यपि अखैसिंह पुत्र भोला मेव का नाम दर्ज है परन्तु खुद काश्त के रूप में रेकार्ड में इनका अंकन नहीं है । उक्त आराजी की जमाबन्दी के अवलोकन से किस्म गैर मुमकिन खोड़ दर्ज होना जाहिर है । इससे यह भी स्पष्ट है कि यह आराजी काबिल काश्त नहीं थी । वादी के द्वारा पेश गिरदावरी सम्वत् 2017 से 20 के अनुसार विवादित आराजी मालिक के खाते में मकबूजा सरकार दर्ज है परन्तु इनकी कोई जमाबन्दी पेश नहीं की गई है । इससे यह स्पष्ट है कि उक्त आराजी बन्दोबस्त से पूर्व से सम्वत् 2016 की जमाबन्दी के बाद जमीदारी विश्वेदारी उन्मूलन एक्ट के प्रभाव में आते ही सरकार के खाते में दर्ज की गई और गैर मुमकिन बंजड़ दर्ज कर दी गई । वादी के द्वारा ऐसा कोई भी रेकार्ड पेश नहीं किया गया जिससे यह साबित होता हो कि बन्दोबस्त से पूर्व विवादित आराजी पर उसकी खातेदारी रही हो । अतः तहत न्यायालय के द्वारा जो विवेचन किया गया है, वह रेकार्ड के विपरीत और कानून सम्मत नहीं है । साथ ही विवादित आराजी पर अपीलांट का भी पूर्ण कब्जा काश्त रेकार्ड, साक्ष्य से नहीं होने के कारण वादी सम्पूर्ण आराजी का खातेदार काश्तकार होने का अधिकारी नहीं है ।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 27.12.2003 निरस्त की जाती है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षों को साक्ष्य व सुनवाई समुचित अवसर प्रदान करते हुए सम्वत् 2016 से 19 का रेकार्ड पेश कर और उसकी जानकारी करके रेकार्ड अनुसार व कब्जे काश्त के आधार पर गुणावगुण पर पुनः निर्णय पारित करें । खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें ।

निर्णय आज दिनांक 24.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

24/5/18

(कमल राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर